बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 103

दिनांक : 6/8/2008

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष
★ शम्भू नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

★ अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

+++

संयुक्त सचिव
★ राजयनन्द बड़ियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

★ अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

प्रेस विज्ञप्ति

श्रीमति वीणा प्रसाद प्र० वि० पदा० बहादुरपुर (दरभंगा) ने महादलितों के इंदिरा आवास में अनियमितता की सूचना मिलने पर पंचायत सेवक, प्र० कृषि पदा० एवं अन्य कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। स्थानीय पुलिस ने श्रीमति वीणा प्रसाद को ही आरोपित बना दिया। एक अन्य मामले में श्री [illegible] प्र० वि० पदा० वैशाली (हाजीपुर) ने सोलर लाइट के लिए मात्र प्रशासनिक स्वीकृति दी। मुखिया/पंचायत सेवक द्वारा लाइट खरीदने में गड़बड़ी की इसकी जांच के क्रम में Vigilance ने प्र० वि० पदा० को भी आरोपित बना दिया। एक और मामले में Vigilance द्वारा श्री सुधांशु चौबे प्र० वि० पदा० गायघाट (मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध गलत ढंग से जांच की कारवाई संचालित कर श्री चौबे को अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि गृह विभाग के पत्रांक डी/वि०-01-425/07-5211 दि० 9 जून 2008 से सभी जिला पदा० एवं आरक्षी अधीक्षकों को निदेश दिया गया है कि "सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथवा संगठन से सम्बन्धित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई सत्कार्य किया गया है, जिससे विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई

है तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा।

उपरोक्त वर्णित तीनों मामलों में सरकार के आदेश का उल्लंघन हुआ है जिसका बिहार प्रशासनिक सेवा संघ घोर विरोध करती है एवं सरकार से अपेक्षा करती है कि उपरोक्त मामले में पदाधिकारियों को उचित न्याय मिले। इसके लिए माननीय प्रधान सचिव गृह विभाग को पदा० को उचित न्याय देने के लिए अनुरोध पत्र दिया है ताकि पदा० निर्भीक होकर सरकार के कार्य का निर्वहन कर सकें।

Sushil 6.8.08
महासचिव

ज्ञाप 103 दि० 6/8/2008

प्रतिलिपि :- निदेशक दूरदर्शन/आकाशवाणी को सूचनार्थ एवं प्रसारण हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सम्पादक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/राष्ट्रीय सहारा/हिन्दुस्तान टाइम्स/टाइम्स ऑफ इंडिया/प्रभात खबर/आज/आई नेक्स्ट/सन्मार्ग को सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Sushil 6.8.08
महासचिव